न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–कटनी

जूजू बाल्मीकि पुत्र स्व. श्री धूमा बाल्मीकि निवासी – लखेरा टिकरिया तहसील पहाड़ी, जिला–कटनी (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. राकेश मेहानी पुत्र श्री भोजराज मेहानी निवासी–शान्ती नगर कटनी (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी (म.प्र.) ...... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 580/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कि ग्राम गुलबारा प.ह.न 46/31 तहसील कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 1322/1 रकवा 0.60 है0, का पट्टा कृषि प्रयोजन हेतु दिनांक 02.04.1996 को अपीलार्थी जूजू पुत्र धूराम बाल्मीकि निवासी – लखेरा टिकरिया को दिया गया था। जिसमे से 0.44 है0 भूमि राकेश मेहानी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय कर दी गयी। उक्त भूमि का कुछ भाग 0.16 सड़क में जाने के कारण भूअर्जन अधिकारी द्वारा भूअर्जन कर मुआवजा प्रदत् किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की

R 2721-5/15 [illegible]

6-6-16

प्रस्तुतकार

आवेदक अभि. श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभि द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है। प्रकरण को नोट

प्रमाणित
[illegible] 06/06/1[illegible]

[पीछे देखिये

R 2721-I/15 कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश
	प्रेस में समाप्त-कर-दिया गया। आवेदक अभिभावक का निवेदन स्वीकार किया गया है। प्रकरण नोटशीट में इसी स्तर पर समाप्त किया गया है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। अध्यक्ष

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.